



# राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN No. U40101RJ1995SGC009847

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान)

फोन नंबर- 0141-2229055, 2221650

Email: [dspp.kusum@gmail.com](mailto:dspp.kusum@gmail.com);

[www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl](http://www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl)

## कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-ए के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के इच्छुक आवेदकों से प्रस्ताव आमंत्रण एवं फीस व धरोहर राशि जमा करने की सूचना

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी), राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के द्वारा चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक निम्न आवेदकों /विकासकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है-

- (अ) ऐसे इच्छुक आवेदक जो कुसुम कम्पोनेन्ट-ए के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु पूर्व में पंजीकरण करवा चुके हैं तथा जिनकी सूची Annexure-1A,1B,1C, पर उपलब्ध है अपना आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपनी आवेदित प्लांट क्षमता के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) दिनांक **15.03.2020** तक जमा करा दें।
- (ब) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आवेदक /विकासकर्ता जो लीज पर भूमि ले कर अथवा स्वयं की भूमि पर निजी निवेश के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं, ऐसे आवेदक आरआरईसी की वेबसाइट [www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl](http://www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl) पर ऑनलाईन पंजीकरण करा कर अपना आवेदन हार्ड कापी में निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपनी आवेदित प्लांट क्षमता के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) दिनांक **15.03.2020** तक जमा करा दें। आरआरईसी द्वारा भूमि लीज पर देने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण किया गया है जिनकी सूची Annexure-2 पर उपलब्ध है। इच्छुक विकासकर्ता भूमि का चयन उक्त सूची में से भी कर सकते हैं।

उपरोक्त विकासकर्ता Annexure-1A,1B,1C में वर्णित किसान जिन्होंने पूर्व में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पंजीकरण कराया था,परन्तु अब सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक नहीं हैं, से भूमि लीज पर लेने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

योजना के तहत आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्लांट क्षमता (मेगावाट)	आवेदन शुल्क (जी.एस.टी सहित)	धरोहर राशि (EMD)
1	0.5	2950 /-	50,000 /-
2	1.0	5900 /-	1,00,000 /-
3	1.5	8850 /-	1,50,000 /-
4	2.0	11800 /-	2,00,000 /-

उपरोक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के नाम से देय हो, के माध्यम से निर्धारित समयावधि में जयपुर स्थित मुख्यालय पर जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) जमा ना कराने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा।

आवेदन तथा फीस जमा करने से पूर्व ध्यान देने योग्य मुख्य बिन्दु:-

- कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-ए के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
- परियोजना की सम्पूर्ण लागत आवेदक को स्वयं अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से वहन करनी होगी।

3. योजना हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जारी की गयी ईओआई (EOI)/दिशा-निर्देशों तथा विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) के ड्राफ्ट व उनमें वर्णित नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ लें।
4. आवेदक को अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन मय निर्धारित शुल्क एवं EMD एवं निर्धारित प्रपत्रों के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा के जयपुर स्थित मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में जमा कराना होगा। निर्धारित तिथी के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदक अथवा उससे सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा एक सब-स्टेशन पर एक से अधिक आवेदन करने पर उपरोक्त राशि जम्ब कर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. उक्त योजना के तहत उत्पादित विद्युत का क्रय राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा रुपये 3.14 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष तक किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के गलत पाये जाने के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. **अपनी भूमि लीज पर देने हेतु पंजिकरण करा चुके आवेदकों को आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) जमा नहीं करानी है।**
9. आवेदकों को आवेदन मय दस्तावेज दो प्रतियों में जमा कराना होगा।

इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु अक्षय ऊर्जा निगम के निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:-

सुनित माथुर महाप्रबन्धक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर- 9414265888 Email: dspp.kusum@gmail.com	सुरेन्द्र वशिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर- 9461561594 Email: dspp.kusum@gmail.com	एन.के. गुप्ता तकनीकी प्रबन्धक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर- 9460383358 Email: dspp.kusum@gmail.com
---	--	---

1. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा आवेदन के साथ Appendix-A में वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त जमा करने योग्य दस्तावेज निम्न प्रकार है :-
  - i) कवरिंग लेटर (Format 1), आवेदक की सूचना शीट सहित (Appendix-A)
  - ii) अधिकृत करने का पत्र (Format 2)
  - iii) योजना में भाग लेने के सम्बन्ध में स्वघोषणा (Format 3)
  - iv) आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट
  - v) धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
2. उपरोक्त आवेदकों के अतिरिक्त अन्य विकासकर्ता द्वारा आवेदन के साथ Appendix-A में वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त जमा करने योग्य दस्तावेज निम्न प्रकार है-
  - i) कवरिंग लेटर (Format 1), आवेदक की सूचना शीट सहित (Appendix-A)
  - ii) योजना में भाग लेने के सम्बन्ध में स्वघोषणा (Format 3)
  - iii) अधिकृत व्यक्ति से बोर्ड द्वारा पारित (Format 4)
  - iv) आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट
  - v) धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
  - vi) चार्टर्ड अकउन्टेन्ट द्वारा वित्तीय हैसियत का प्रमाण पत्र

## कुसुम योजना से सम्बंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं शर्तें

### 1. पृष्ठभूमि

- i. भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08.03.2019 द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान" कुसुम योजना प्रारंभ की है जिसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 22.07.2019 को जारी किए गए।
- ii. राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2019 में राज्य में आगामी 3 वर्षों में किसानों की अनुपयोगी/बंजर जमीन पर कुल 2600 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई जिन की स्थापना कुसुम योजना हेतु जारी एम एन आर ई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत की जाएगी।
- iii. इस योजना के कंपोनेंट-ए के अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के नजदीक 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर की जाएगी।
- iv. कुसुम कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु कन्द्र अथवा राज्य सरकार कोई सब्सिडी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

### 2. सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) के दायित्व:

सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा

- i. एसपीजी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि तथा संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करने तथा 33/11 केवी सब स्टेशन से सौर ऊर्जा संयंत्र को जोड़कर निश्चित समयावधि में चालू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- ii. एसपीजी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापना हेतु आवश्यक भूमि पर प्रोजेक्ट विकासकर्ता को कब्जा अथवा Lease करने हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा लीज एग्रीमेंट प्रस्तुत करेगा।
- iii. सभी आवश्यक दस्तावेजों का संधारण तथा आवश्यकतानुसार सहमति, मंजूरी एवं परमिट प्राप्त करेगा।
- iv. पावर प्रोजेक्ट को लागू कानून, ग्रिड कोड, उपयोगिता, स्थापित प्रथाओं व अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार डिजाइन, निर्माण, प्रोजेक्ट पूरा करना तथा परीक्षण उपरांत चालू करना होगा।
- v. अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रोजेक्ट को चालू कर निर्धारित क्षमता तक वितरण निगम को अनुबंध में निर्धारित अवधि के दौरान लगातार विद्युत आपूर्ति करना।
- vi. एसपीजी इंटरकनेक्शन, मीटरिंग, डिलीवरी पॉइंट पर इंटरकनेक्शन सुविधाओं के साथ पावर प्रोजेक्ट को सब स्टेशन से जोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
- vii. पावर प्रोजेक्ट को अनुबंध की अवधि के दौरान अवरोध मुक्त रखेगा।
- viii. अनुबंध के तहत किए गए समस्त दायित्वों को पूरा करेगा।
- ix. एसपीजी आर यू वी एन तथा आर.आर.ई.सी. के साथ सीधे समन्वय और व्यवहार करने और बिजली की आपूर्ति की scheduling प्रेषण और विचलन व निपटान तंत्र तथा लागू ग्रिड कोड एवं राज्य के कानून की अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- x. एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र को राजस्थान राज्य की लागू नीतियों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप राज्य नोडल एजेंसी में पंजीकरण के बारे में लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा तथा संबंधित राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत आरआरईसीएल को देय शुल्क के बारे में अपडेट रहना भी एसपीजी की जिम्मेदारी होगी।

### 3. सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता एवं भूमि की आवश्यकता

- i. इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- ii. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता 2 हैक्टर प्रति मेगावाट होगी।
- iii. कोई भी आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता तक अथवा वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता में से जो भी कम हो के लिये आवेदन कर सकता है।

### 4. योजना हेतु पात्रता

- i. इस योजना में भाग लेने हेतु किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वयं की अथवा लीज की जमीन है, पात्र होंगे तथा इन्हें सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा।
- ii. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन आदि स्वयं की अंश पूंजी न होने की स्थिति में प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु किसी विकासकर्ता का चुनाव कर सकेंगे तथा भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया लीज एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। इन स्थिति में विकासकर्ता को सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा। निम्न का चयन विकासकर्ता के रूप में किया जा सकता है:—
  - 1) भारत में कंपनी एक्ट 1956 एवं इसमें समय-समय पर संशोधन के तहत पंजीकृत कंपनियां।
  - 2) ऐसे कंसोर्सियम जिसमें 1 सदस्य लीड मंबर (51% अंशधारक) के रूप में कार्य करें।  
एसपीजी के रूप में चयन के बाद इसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत कराए।
  - 3) सीमित दायित्व कम्पनी (Limited Liability Company-LLP)
  - 4) रजिस्टर्ड साझेदारी कंपनी (Partnership Company)
  - 5) रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप कंपनी

### 5. भूमि की लीज

- i. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विकासकर्ता द्वारा करने की स्थिति में भूमि मालिक को विकासकर्ता से आपसी सहमति से तय लीज रेंट (किराया) प्राप्त होगा। किसानों को लीज रेंट सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- ii. लीज रेंट की राशि रूपए प्रति एकड़ अथवा भूमि से उत्पादित बिजली की रूपए प्रति यूनिट के रूप में होगी। लीज एग्रीमेंट किसान तथा विकासकर्ता के मध्य आपसी सहमति से तय शर्तों पर होगा। वितरण निगम उक्त अनुबंध के विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

### 6. वित्तीय योग्यता

- i. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा स्वयं के निवेश से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी।
- ii. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रोजेक्ट को किसी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित करने पर विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रु. प्रति मेगावाट होनी चाहिए। विकासकर्ता द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होगा।

### 7. आवेदन शुल्क, धरोहर राशि एवं परियोजना सुरक्षा राशि

#### अ. आवेदन शुल्क:

आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के आवेदन हेतु रूपये 5000 प्रति मेगावाट +जी.एस.टी की दर से आवेदन शुल्क प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा

कराना होगा। (0.5 मेगावाट के लिये 2500 रुपये, 1 मेगावाट के लिये 5000 रुपये, 1.5 मेगावाट के लिये 7500 रुपये, 2 मेगावाट के लिये 10000 रुपये +जी.एस.टी)

#### **ब. धरोहर राशि (EMD):**

स्वयं की अंशपूजी से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक आवेदक/विकासकर्ताओं द्वारा रुपये 100000 (एक लाख रुपये) प्रति मेगावाट की दर से धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। धरोहर राशि को सफल आवेदकों द्वारा पी पी ए साइन करने के 15 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

#### **स.परियोजना सुरक्षा राशि (PBG):**

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित एस पी जी को रुपये 500000 प्रति मेगावाट की दर से परियोजना सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंधक निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी तथा इस की वैधता कम से कम 15 माह तथा दावा अवधि कम से कम तीन माह होनी चाहिए। पी बी जी को एस पी जी द्वारा प्रोजेक्ट कमिशनिंग करने के 30 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

### **8. बिजली की दर**

- i. यदि किसी सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगम द्वारा उस सब स्टेशन हेतु अधिसूचित क्षमता से कम अथवा बराबर है तो सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली को आर यू वी एन द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित 3.14 प्रति यूनिट की दर पर खरीदा जाएगा।
- ii. यदि किसी ग्रिड सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगमों द्वारा अधिसूचित क्षमता से अधिक है तो सौर ऊर्जा जनरेटर का चयन करने के लिए आरआरईसी द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और ऐसे मामलों में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित दर को रिवर्स निविदा हेतु सीलिंग टैरिफ माना जाएगा।

### **9. विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु आवेदन एवं चयन प्रक्रिया**

#### **आवेदन प्रक्रिया**

- i. आरआरईसी के द्वारा कुसुम योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु वितरण निगमों से प्राप्त 33/11 केवी सब स्टेशनों व उन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु अतिरिक्त क्षमता की सूची (Annexure-A ,B,C) आरआरईसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- ii. आवेदक को अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन मय निर्धारित शुल्क एवं EMD एवं निर्धारित प्रपत्रों के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जयपुर स्थित मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में जमा कराना होगा।
- iii. किसी भी एसपीजी को एक 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए एक से अधिक आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी एक सब स्टेशन पर एसपीजी अथवा उसके साझेदार अथवा डायरेक्टर अथवा समूह के किसी मेंबर अथवा उससे संबंधित कंपनी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा।

#### **चयन प्रक्रिया**

आरआरईसी द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत आवेदकों से हार्डकॉपी में प्राप्त आवेदन पत्र मय निर्धारित शुल्क एवं EMD एवं वांछित दस्तावेज, का संकलन कर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा—

1. सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक,सभी आवेदको द्वारा किसी एक सब स्टेशन पर आवेदित सोलर क्षमता उस सब स्टेशन हेतु घोषित क्षमता से कम या बराबर है तो ऐसे आवेदकों को सौर ऊर्जा संयंत्र

लगाने हेतु चयनित घोषित किया जाएगा तथा इनको राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ रू 3.14 प्रति यूनिट की दर पर LOA जारी किया जायेगा।

सफल आवेदकों को निर्धारित परियोजना सुरक्षा राशि की बैंक गारंटी व अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति LOA के जारी होने के 1 माह की निर्धारित समय सीमा (बिना विलम्ब शुल्क) तथा उसके पश्चात अतिरिक्त एक माह की समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित जमा कराकर विद्युत क्रय अनुबंध साइन करना होगा।

2. जिन सब स्टेशनो पर सभी आवेदको द्वारा आवेदित सौर ऊर्जा क्षमता उस सब स्टेशन के लिए निर्धारित क्षमता से अधिक है इस स्थिति में आरआरईसी द्वारा एसपीजी का चयन रिवर्स निविदा प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जिसमें निविदाकर्ता से विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर से कम दर के प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफ लाईन सील बिड के रूप में मांगे जाएंगे तथा सबसे कम प्रस्तावित टैरिफ पर उस सबस्टेशन की निर्धारित क्षमता तक सभी पात्र आवेदकों को LOA जारी किए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया में सफल आवेदकों को परियोजना सुरक्षा राशि बिन्दु संख्या 7 स के अनुसार, LOA जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर (बिना विलम्ब शुल्क) तथा उसके पश्चात अतिरिक्त एक माह की समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित जमा कराकर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) करना होगा। निर्धारित अवधि में PPA नहीं करने पर LOA निरस्त कर दिया जायेगा।

#### 10. सौर ऊर्जा संयंत्र का 33 केवी सब स्टेशन से संयोजन

- i. इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को 33 केवी सबस्टेशन से 11 केवी लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
- ii. सोलर पावर प्रोजेक्ट से ग्रिड सब स्टेशन तक 11 केवी लाइन बनाने व सब स्टेशन पर Bay तथा संबंधित switchgear एवं मीटरिंग संबंधित उपकरण एवं कार्य करना एसपीजी की जिम्मेदारी होगी तथा इस संबंध में व्यय की जाने वाली राशि एसपीजी द्वारा ही वहन की जायेगी।
- iii. वितरण निगमों द्वारा 11 केवी लाइन के निर्माण हेतु एसपीजी को आर ओ डबल्यू (ROW) में मदद की जाएगी।
- iv. एसपीजी द्वारा वितरण निगम को वितरण तंत्र की स्थापना हेतु नियमानुसार निर्धारित राशि का भुगतान कर 11 केवी तंत्र का निर्माण कराया जा सकता है।
- v. समर्पित 11 केवी लाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी एसपीजी की होगी।
- vi. एक सब स्टेशन पर एक से अधिक एसपीजी संयुक्त रूप से आपसी सहमति व वितरण निगम की अनुमति से कॉमन प्रसारण तंत्र की स्थापना कर सकेंगे।
- vii. एसपीजी को वितरण निगम में संयोजन शुल्क (Connectivity Charges) जमा कराने होंगे।
- viii. एसपीजी को ग्रिड कोड व अन्य संबंधित विनियम/अधिनियम की पालना करनी होगी।

#### 11. विद्युत खरीद अनुबंध (Power Purchase Agreement)

- i. चयनित एसपीजी के साथ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खरीद हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत खरीद अनुबंध किया जाएगा। पीपीए की अवधि व्यावसायिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date-COD) से मानी जाएगी।
  - ii. 25 वर्ष के बाद एसपीजी व वितरण निगम आपसी सहमति से निर्धारित दर व अन्य शर्तों के साथ पीपीए की अवधि को बढ़ा सकेंगे।
  - iii. एसपीजी को भुगतान सुरक्षा के उपाय के रूप में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit-LC) और एसक्रो (ESCROW) अकाउंट की व्यवस्था पीपीए में वर्णित शर्तों के अनुसार की जाएगी।
12. इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से खरीदी गई बिजली का उपयोग वितरण निगमों द्वारा आरपीओ की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

13. एसपीजी सौर ऊर्जा पर आधारित किसी भी तकनीक को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। परंतु केवल गुणवत्ता प्रणाली स्थापित हो यह सुनिश्चित करने के लिए सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, BOS एवं अन्य उपकरणों हेतु MNRE/BIS के प्रचलित मापदंडों एवं मानकों का पालन किया जाएगा।
14. वितरण निगम उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए सोलर उत्पादन संयंत्र की घोषित क्षमता में वृद्धि के लिए उपलब्ध किसी भी स्कीम के अंतर्गत सोलर संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे।
15. योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को खरीदना वितरण निगमों के लिए बाध्यकारी होगा।
16. सभी सफल एसपीजी के द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु आवश्यक 100 प्रतिशत पूंजी की व्यवस्था पीपीए साइन करने की तिथि से 5 माह में करनी होगी। इस संदर्भ में एसपीजी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त स्वीकृति की प्रति आरआरईसी को उपलब्ध करवाएगा।
17. एसपीजी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों तथा सूचना के गलत पाए जाने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा आवेदक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।
18. **सौर ऊर्जा के न्यूनतम उत्पादन में कमी:**
  - i. एसपीजी को पीपीए अवधि के दौरान कम से कम 15 प्रतिशत वार्षिक Capacity Utilization Factor (CUF) बनाये रखना अनिवार्य होगा।
  - ii. सी यू एफ 15 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति में कमी के लिए एसपीजी द्वारा पीपीए में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी।
  - iii. विद्युत तंत्र (Grid) की अनुपलब्धता या एसपीजी के नियंत्रण से बाहर स्थिति होने पर इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। Force Majeure की स्थितियों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू नहीं होगा।
  - iv. वितरण निगम द्वारा 95 प्रतिशत ग्रिड उपलब्धता बनाये रखी जायेगी।
19. **सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की अवधि (Commissioning Period):**
  - i. एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु LOA जारी करने की तिथि के 9 माह की अवधि में कमीशन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट चालू नहीं करने की स्थिति में पेनल्टी राशि को PBG में से PPA की शर्तों के अनुसार वसूल किया जाएगा।
  - ii. सौर ऊर्जा संयंत्र के LOA जारी होने की तिथि से 11 माह की अवधि तक स्वीकृत क्षमता कमीशन नहीं होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार पेनल्टी वसूल कर पीपीए में वर्णित क्षमता को स्थापित हुई क्षमता के बराबर संशोधित किया जायेगा।
20. **व्यावसायिक संचालन तिथि (Commerical Operation Date-COD):**

कमिश्निंग कमेटी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के कमीशन होने की वास्तविक तिथि को ही व्यावसायिक संचालन तिथि घोषित किया जायेगा।
21. **वितरण निगमों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PBI):**

वितरण निगमों को अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों से विद्युत खरीदने पर उनके प्रदर्शन (Performance ) के आधार पर 40 पैसा प्रति यूनिट अथवा 6.6 लाख रूपए प्रति मेगावाट जो भी कम हो की दर से प्रोत्साहन राशि निम्न दस्तावेज MNRE में जमा करने पर मिलेगी—

  - भूमि मालिक को समय से लीज राशि के भुगतान से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)।
  - सौर ऊर्जा संयंत्रों से खरीदी गई बिजली के नियमित मासिक भुगतान से संबंधित दस्तावेज।

उपरोक्त राशि में से एसपीजी/विकासकर्ता को कोई राशि देय नहीं होगी।

## 22. हितधारकों के कार्य एवं दायित्व

### एम एन आर ई (MNRE):

- एम एन आर ई द्वारा डिस्कॉम को सौर ऊर्जा प्लांट हेतु क्षमता आवंटन।
- एम एन आर ई द्वारा वितरण निगमों को पीबीआई उपलब्ध करना।

### वितरण निगम एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम:

- वितरण निगम द्वारा एम एन आर ई को क्षमता आवंटन हेतु पत्र लिखना।
- वितरण निगम द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु 33/11 केवी सब स्टेशन तथा उन पर उपलब्ध क्षमता को अधिसूचित करना।
- वितरण निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन करना।
- वितरण निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सफल आवेदकों को LOA जारी करना तथा विद्युत क्रय अनुबंध साइन करना।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को 'MUST RUN' स्टेटस प्रदान करना तथा संबंधित फीडर को दिन के समय अनिवार्य रूप से चालू रखना।
- सोलर प्लांट लीज की भूमि पर स्थापित होने की स्थिति में भूमि मालिक को समय से लीज राशि का भुगतान करना (यदि लागू हो)।

### स्टेट नोडल एजेंसी:

कुसुम योजना के 'कंपोनेट-ए' के क्रियान्वयन हेतु वितरण निगम तथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया गया है:

- सभी हित धारकों जैसे राज्य सरकार वितरण निगम राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा सौर ऊर्जा उत्पादकों के बीच समन्वय बनाना।
- एसपीजी को प्रोजेक्ट संबंधित गतिविधियों जैसे डीपीआर, पीपीए, ईपीसी कांट्रैक्ट, वित्तीय संस्थानों से पूंजी की व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन तथा इसकी त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करना।
- विज्ञापनों के माध्यम से योजना के बारे में लोगों में जागृति पैदा करना तथा योजना का क्रियान्वयन व निगरानी करना।
- प्रोजेक्ट के चालू होने के उपरांत SNA को 0.25 लाख प्रति मेगावाट मिलेंगे।



**COVERING LETTER**

(To be submitted by all the applicants)

To

Managing Director,  
Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited  
E-166, Yudhisther Marg, C-Scheme  
Jaipur-302001(Rajasthan)

Sub: Response to EOI No. dated 30.11.2019 for selection of Solar Power Generator (SPG) for setting up of Decentralized Solar PV Power Plants (DSPP) of 0.5MW to 2MW capacity on farmer's land near Discom's 33/11kV Substation on Build, Own & Operate basis.

Ref.: Application ID \_\_\_\_\_(generated through online registration)

Dear Sir,

We, the undersigned ..... *[insert name of the 'Applicant']* having read, examined and understood in detail the EOI including Qualification Requirements in particular, terms and conditions of the standard PPA for supply of power for 25 years to RUVN @ Rs. \_\_\_\_\_per unit, hereby submit our response to EOI.

We are submitting EOI for the development of following Solar PV Project(s) as detailed at Appendix-A

1. I/We hereby convey our unconditional acceptance to the EOI, dated 30.11.2019, standard PPA documents attached thereto, issued by RRECL. In token of our acceptance to the EOI, PPA documents along with the amendments and clarifications issued by RRECL, the same have been signed by us and enclosed with the response to EOI. We shall ensure that the PPA shall be executed as per the provisions of the EOI and PPA and shall be binding on us. Further, we confirm that the Project shall be commissioned within 9 months (as per EOI) of the Effective Date of PPA
2. I/We are submitting application fee @ Rs.5000/- and security amount against EMD with the following details:

<b>Fee Details</b>	<b>Capacity</b>	<b>Amount</b>	<b>Demand Draft Detail DD No. / date/Bank /Branch/ Place</b>
Application Fee (@INR 5000/-per MW +18% GST)			
Earnest Money Deposit (EMD) (@INR 1LAKH per MW)			

3. I/We hereby declare that in the event our Project get selected and Letter of Award(LoA) issued for the applied/offered capacity but we are not able to submit Bank Guarantee of the requisite value towards PBG within due time as mentioned in EOI after issue of LoA by RRECL and/ or we are not able to sign PPA with RUVNL within time period notified by RRECL, RRECL shall have the right to encash the security amount against EMD submitted by us.

4. I/We have submitted our response strictly as per EOI, without any deviations, conditions and without mentioning any assumptions or notes in the said Formats.
5. Acceptance:-  
I/We hereby unconditionally and irrevocably agree and accept that the decision made by RRECL in respect of any matter regarding or arising out of the EOI shall be binding on us. We hereby expressly waive and withdraw any deviations and all claims in respect of this process.
6. I/We also unconditionally and irrevocably agree and accept that the decision made by RRECL in respect of award of Projects according to our preference order as above and in line with the provisions of the EOI, shall be binding on us.
7. Familiarity with Relevant Indian Laws & Regulations:-  
I/We confirm that we have studied the provisions of the relevant Indian Laws and Regulations as required to enable us to submit this response to EOI and execute the PPA, in the event of our selection as Successful Bidder.
8. In case of my/our selection as the SPG under the scheme and the project being executed by a Special Purpose Vehicle (SPV) incorporated by us which shall be our 100% subsidiary, we shall infuse necessary equity to the requirements of EOI. Further we will submit a Board Resolution prior to signing of PPA with RUVN, committing total equity infusion in the SPV as per the provisions of EOI.
9. I/We are submitting our response to the EOI with applicable formats duly signed as desired by you in the EOI for your consideration.
10. It is confirmed that my/our response to the EOI is consistent with all the requirements of submission as stated in the EOI, including all clarifications and amendments and subsequent communications from RRECL.
11. The information submitted in my/our response to the EOI is correct to the best of our knowledge and understanding. We would be solely responsible for any errors or omissions in our response to the EOI.
12. I/We confirm that all the terms and conditions of our Bid are valid up to -----(*Insert date in dd/mm/yyyy*) for acceptance [i.e. a period of 180 (One Hundred Eighty) Days from the last date of submission of response to EOI].

Contact Person

Details of the representative to be contacted by RRECL are furnished as under:

Name : .....

Designation : .....

Address: .....

Phone Nos.....  
: .....

Mobile Nos. : .....

Fax Nos. : .....

E-mail address : .....

13. I/We have neither made any statement nor provided any information in this Bid, which to the best of our knowledge is materially inaccurate or misleading. Further, all the
14. Confirmations, declarations and representations made in my/our application/proposal are true and accurate. In case this is found to be incorrect after our selection as

Successful Bidder, I/we agree that the same would be treated as a Seller's event of default under PPA and consequent provisions of PPA shall apply.

Thanking you,

Dated the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20....

We remain,  
Yours faithfully,

Name,

Designation,

Seal and Signature of Authorized Person whose name Power of Attorney/ Board Resolution/Declaration.

**INFORMATION OF APPLICANT, PARTICIPATING FOR SETTING UP SOLAR POWER PLANT UNDER COMPONENT-A UNDER KUSUM SCHEME**

**Online Application ID**

<b>1</b>	<b>Details of Applicant (Fill only whichever is applicable)</b>	
a	Individual farmer (Name, Adhaar No. with copy of Adhaar Card)	
b	Group of farmers (Name of Group, Registration No. List of Group members), Attach copy of Registration if available	
c	Cooperative (Name of Cooperative, Registration No.) Attach copy of Registration	
d	Panchayats (Name of Panchayat & Sarpanch)	
E	Farmer Producer Organisations(FPO) (Name of Organisations, Registration No. ) Attach copy of Registration	
f	Water User Associations (WUA)) (Name of Associations, Registration No.) Attach copy of Registration	
g	Developer (Name of developer, Registration No.(in case of the firms) Attach copy of registration	
<b>2</b>	<b>Contact Details</b>	
i	Address of Communication	
ii	Name of Authorized person	
ii	Mobile No.	
iv	Email ID	
<b>3</b>	<b>Bank details of applicant</b>	
i	Name of bank, branch with address	
ii	Account No.	
ii	IFSC Code	
<b>4</b>	<b>Details of 33kV Substation Notified by DISCOM</b>	
i	Discom	
ii	District	
iii	Village	
iv	Name of Substation	
v	Declared capacity for the Solar Power Project	
<b>5</b>	<b>Details of Land</b>	
i	Ownership of the land (Self owned / Leased)\	
ii	Name of the land owner	
iii	District	
iv	Tehsil / P.S.	
v	Village	
vi	a Khasra No. -----Area (in Hectare) b Khasra No. -----Area (in Hectare) c Khasra No. -----Area (in Hectare) Total Area (in Hectare)	
5	Capacity offered in MW (Offered capacity should not be more than declared capacity of the Substation or 2 MW whichever is less)	
6	Distance of the offered land from the Substation Notified by the DISCOM	

## **Letter of Authorization**

(To be submitted by Individual farmers/ group of farmers/ cooperatives/ panchayats/ Farmer Producer Organisations (FPO) / Water Users Association (WUA) on non judicial stamp duly notarized)

Online Application ID:

I/We hereby authorize Mr./Ms. \_\_\_\_\_ s/w/o \_\_\_\_\_ for representing me/us in all matters before RRECL for signing and submission of all documents and providing information/ response to EOI to Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL), and generally dealing with RRECL in all matters in respect of setting up of Solar PV Power Plants (DSPP) of 0.5MW to 2MW capacity on farmer's land near Discom's 33/11kV Substation on Build, Own & Operate basis in Rajasthan under PM-KUSUM Component-A scheme for the Project of \_\_\_\_ MW capacity [*Insert Project capacity proposed*] at 33/11kV Substation \_\_\_\_\_ (insert name S/S) in Panchayat Samiti \_\_\_\_\_ (insert name of P.S.) in District \_\_\_\_\_ (insert name of District).

Signature of Applicant or

Authorizing Person on behalf of

Group of farmers/ Cooperatives/ Panchayats/  
Farmer Producer Organisations (FPO) / Water Users Association (WUA)

**FORMAT FOR DISCLOSURE**

(This should be submitted by all applicants on the Letter Head of the Bidder/ Bidding Company/ Each Member of Consortium)

Online Application ID:

From: *(Insert name and address of applicant)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

To

Managing Director,  
Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited  
E-166, Yudhister Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Rajasthan)

Sub: Response to EOI No. **RRECL/Solar/Dist./EOI** dated \_\_\_\_\_ for selection of Solar Power Generator (SPG) for setting up of Decentralized Solar PV Power Plants (DSPP) of 0.5MW to 2MW capacity on farmer's land near Discom's 33/11kV Substation on Build, Own & Operate basis in Rajasthan under PM-KUSUM Component-A scheme.

Dear Sir,

I/We hereby declare and confirm that only I/we am/are participating in the EOI Selection process for the EOI No. \_\_\_\_\_ and that our proprietor/partner/director/member / Parent, Affiliate or Ultimate Parent or any Group Company with which we have direct or indirect relationship are not separately participating in this selection process for the Project of -----MW [*Insert Project capacity proposed*] at 33/11kV Substation \_\_\_\_\_ (insert name S/S) in Panchayat Samiti \_\_\_\_\_ (insert name of P.S.) in District \_\_\_\_\_ (insert name of District).

I/We further declare that the above statement is true & correct. We are aware that if at any stage it is found to be incorrect, our response to EOI will be rejected and if LoA has been issued or PPA has been signed, the same will be cancelled and the EMD /PBG (available with RREC) will be encashed and recoveries will be effected for the payments done.

Dated the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20.... Thanking you,

We remain, Yours faithfully,

Name, Designation, Seal and Signature of Authorized Person in whose name Power of Attorney / Board Resolution/ Declaration.

**FORMAT FOR BOARD RESOLUTIONS**

The Board, after discussion, at the duly convened Meeting on .....[*Insert date*], with the consent of all the Directors present and in compliance of the provisions of the Companies Act, 1956 or Companies Act 2013, as applicable, passed the following Resolution:

1. **RESOLVED THAT** Mr/ Ms....., be and is hereby authorized to do on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our response to EOI **dated** 30.11.2020 for selection of Solar Power Generator (SPG) for setting up of Decentralized Solar PV Power Plants (DSPP) of 0.5MW to 2MW capacity on farmer's land near Discom's 33/11kV Substation on Build, Own & Operate basis in Rajasthan under PM-KUSUM scheme including signing and submission of all documents and providing information/ response to EOI to Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL), representing us in all matters before RRECL, and generally dealing with RRECL in all matters in connection with our bid for the Project of ----MW [*Insert Project capacity proposed*] at 33/11kV Substation \_\_\_\_\_(insert name S/S) in Panchayat Samiti \_\_\_\_\_(insert name of P.S.) in District \_\_\_\_\_(insert name of District).
2. **FURTHER RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, as applicable and compliance thereof and as permitted under the Memorandum and Articles of Association of the Company, approval of the Board be and is hereby accorded to invest total equity in the said Project.

-----

**(Signature, Name and Stamp of Company Secretary)**

**Notes:**

- 1) This certified true copy should be submitted on the letter head of the Company, signed by the Company Secretary/Director.
- 2) The contents of the format may be suitably re-worded indicating the identity of the entity passing the resolution.
- 3) This format may be modified only to the limited extent required to comply with the local regulations and laws applicable to a foreign entity submitting this resolution. For example, reference to Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013 as applicable may be suitably modified to refer to the law applicable to the entity submitting the resolution. However, in such case, the foreign entity shall submit an unqualified opinion issued by the legal counsel of such foreign entity, stating that the Board resolutions are in compliance with the applicable laws of the respective jurisdictions of the issuing Company and the authorizations granted therein are true and valid.